


उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-6  
संख्या-599 /XXVII(6)-तीन-1466 /2021  
देहरादून: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2021

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-584/XXVII(6)/1466/तीन/2021, दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2021 एवं अधिसूचना संख्या-A 584/XXVII(6)/1466/तीन/2021, दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप निदेशक, वित्त सेवार्ये विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, यू0के0पी0एफ0एम0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, लेखा परीक्षा ऑडिट, निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर, इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(दीपक कुमार)  
अनु सचिव।



उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-6  
संख्या- A-584 /XXVII(6) / 1466 /तीन / 2021  
देहरादून, दिनांक: 06, दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2012) की धारा 20 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट (INTOSAI) के द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों, मानकों के स्तर के अनुरूप वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियम संग्रह को प्रख्यापित किया जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियम संग्रह, 2021

(वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा के सिद्धांत, मानक, वित्तीय साक्ष्यांकन के विभिन्न चरण, मनीकृत प्रारूप एवं जांच सूचियाँ)

संक्षिप्त  
नाम,  
विस्तार  
और प्रारंभ

1 (1) इन लेखा परीक्षा नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियमसंग्रह, 2021 है।

(2) इसके अंतर्गत दो खंड हैं खंड-I एवं खंड-II है एवं शहरी एवं ग्रामीण निकायों की लेखा परीक्षा हेतु जांच सूची सम्मिलित है, यह लेखा परीक्षा नियम संग्रह उन समस्त ऑडिटी होंगे जो कि अधिसूचना संख्या-495/XXVII/2012 दिनांकित-26 नवंबर, 2012 से उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012- धारा 4(1) के क्रम में अधिसूचित किए गए हैं। आडिटी के अंतर्गत समस्त शहरी निकायो- नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतें एवं ग्रामीण निकायों के अंतर्गत जिला पंचायतें, क्षेत्र/ब्लॉक पंचायतें, ग्राम पंचायतें सम्मिलित है।

(3) उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियमसंग्रह, 2021 का आधार अंतर्राष्ट्रीय मानकों लेखा परीक्षा संस्थान (आईएसएसएआई) के मानक एवं सिद्धांत है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (इंटोसाई) द्वारा प्रख्यापित किया गया है। इन मानकों और सिद्धांतों को इस सीमा तक अपनाया गया है कि वह उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत नियमों और शासनादेशों के अनुरूप हैं।

(4) वित्त विभाग के निर्देशानुसार निदेशालय, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड एवं ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा संबंधित समस्त कार्य किए जाएंगे।

(5) निदेशालय लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड का मुख्य दायित्व लेखा परीक्षा नियम संग्रहों को क्रियान्वित किया जाना होगा। इसके लिए निदेशालय द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम, लेखा परीक्षा हेतु मानव संसाधन का आंकलन, लेखा परीक्षा दलों की दक्षता के अनुसार निर्धारण, लेखा परीक्षा क्रियान्वयन, लेखा परीक्षा प्रालेखन एवं रिपोर्टिंग, लेखा



परीक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि एवं अनुश्रवण के कार्यवाही की जाएगी।

(6) ऑडिट प्रकोष्ठ, ऑडिट मैनुअल के निरन्तर उन्नयन हेतु तकनीकी परामर्शक की भूमिका निभाते हुए लेखा परीक्षा के मानकों/सिद्धांतों/पद्धतियों में आवधिक परिवर्तन होने पर अपनी संस्तुति प्रदान करेगा, ऑडिट में नवीन पद्धतियों को चरणबद्ध रूप से आईटी सोल्युशंस एवं कम्प्यूटर एडेड ऑडिट टेकनिक्स (CAIT) को स्थापित करेगा।

(7) कार्यक्षेत्र में लेखा परीक्षा दलों द्वारा आचार संहिता, स्वतंत्रता, गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा एवं लेखा परीक्षा के नियम संग्रहों का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा के कार्यों को संपादित किया जाएगा। लेखा परीक्षा दलों या अन्य अधिकारियों जिनके द्वारा वित्तीय साक्षांकन लेखा परीक्षा किसी भी प्रकार से सम्पादित की जायेगी उनके द्वारा वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से पूर्व नैतिकता एवं स्वतंत्रता की आचार संहिता पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(8) यह लेखा परीक्षा नियम संग्रह अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

भारत के  
नियंत्रक  
-महालेखा  
परीक्षक के  
तकनीकी,  
मार्गदर्शन,  
सहायता के  
उपबंध

- 2 (1) उत्तराखंड राज्य सरकार के पत्र संख्या 427/वीए एनआईडी (13वां एफसी)/2013 दिनांक 19.03.2013, के द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के उपबंधों को अंगीकृत किया है। 13वें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बाह्य लेखा परीक्षकों की तकनीकी एवं व्यावसायिक अभिवृद्धि किये जाते हुये, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा सुदृढ़ किए जाना सम्मिलित है। तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के उपबंधों अनुसार शहरी एवं ग्रामीण निकायों की लेखा परीक्षा के लिये निदेशक लेखा परीक्षा, प्राथमिक सांविधिक लेखापरीक्षक है

(2) अतः उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा 20 के अंतर्गत एवं 427/वीए एनआईडी (13वां एफसी)/2013 दिनांक 19.03.2013 के द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन सहायता उपबंधों के अनुसार उत्तराखंड वित्तीय साक्षांकन लेखा परीक्षा नियमसंग्रह, 2021 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके द्वारा शहरी और ग्रामीण निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा सम्पादित की जाएगी। लेखा परीक्षा नियम संग्रह शहरी और ग्रामीण निकायों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे, जो कि XVth वित्त आयोग के अंतर्गत अनटाइड अनुदान जारी होने के लिए अनिवार्य शर्त है।

सार्वजनिक क्षेत्र  
की लेखापरीक्षा  
के  
मौलिकसिद्धांत  
(ISSAI -100)  
एवं वित्तीय  
लेखापरीक्षा के

- 3 (1) ISSAI 100 - सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के मौलिक सिद्धांत स्थापित करते हैं, जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा कार्यों पर लागू होते हैं। ISSAI 200 वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के विशिष्ट संदर्भ के साथ ISSAI 100 के मूलभूत सिद्धांतों का परिपूरक है। उपरोक्त दोनों सिद्धांत, संयुक्त संसूचित रूप से INTOSAI के व्यवसायिक घोषणाओं के सम्पूर्ण संकलन को आधार बनाते हैं।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा के सामान्य सिद्धांत ISSAI 100 में और वित्तीय



मौलिक  
सिद्धान्त  
(ISSAI-200)  
मानकों के  
परस्परिक  
आदाय

विवरणों के लेखापरीक्षा में नैतिकता, गुणवत्ता नियंत्रण और लेखापरीक्षाओं समस्त उत्तरदायित्वों पर मानकों में निर्धारित किए गए हैं। इसके मौलिक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-

	लेखापरीक्षा के सिद्धान्त	ISSAI-100 संक्षिप्तविवरण	का	ISSAI 100 के मूलभूत सिद्धान्त एवं वित्तीय लेखापरीक्षा के मौलिक सिद्धान्त (ISSAI-200) एवं 2200-2999 के परस्पर निर्भर मानक
सिद्धान्त 1	नैतिकता एवं स्वतंत्रता	लेखा परीक्षकों अपेक्षित है नैतिकता एवं स्वतंत्र अनुरूप कार्य करना चाहिए	द्वारा	ISSAI-130, ISSAI 200
सिद्धान्त 2	व्यावसायिक कुशाग्रता यथोचित सजगता संशयात्मकता	लेखापरीक्षकों को सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि में व्यावसायिक संशयात्मकता, पेशेवर निर्णय और यथोचित सजगता द्वारा यथोचित व्यावसायिक आचरण बनाए रखना चाहिए	को	ISSAI-200 ISSAI-2200
सिद्धान्त 3	गुणवत्ता नियंत्रण	लेखा परीक्षकों द्वारा व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण अनुसार लेखा परीक्षा संपादित की जानी चाहिए	द्वारा	ISSAI-140. ISSAI-200. ISSAI-2220
सिद्धान्त 4	लेखा परीक्षा दल प्रबंधन एवं कुशलता	लेखा परीक्षकों कौशल से आवश्यक रूप से युक्त होने चाहिए या प्राप्त किया जाना चाहिए	द्वारा	ISSAI-2220
सिद्धान्त 5	लेखा परीक्षा जोखिम	लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के समय परिस्थितियों का प्रबन्धन इस प्रकार से	द्वारा	ISSAI-200, ISSAI-2315



करना चाहिए कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समस्त लेखा परीक्षा जोखिम दृष्टिगत हो सकें।

सिद्धांत 6	महत्त्व	सम्पूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों कि अवधि के अंतर्गत महत्त्व का निर्धारण किया जाना चाहिए	ISSAI-200, ISSAI-2320
सिद्धांत 7	दस्तावेजीकरण	लेखा परीक्षकों, द्वारा लेखा परीक्षा दस्तावेजीकरण का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे किए गए कार्यों, प्राप्त साक्ष्य और प्राप्त निष्कर्षों की स्पष्ट सूचनाएँ उपलब्ध की जाए	ISSAI-200, ISSAI 2230, all other relevant ISSAI
सिद्धांत 8	रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही	लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर राय के सहित लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। संबन्धित असंशोधित या संशोधित राय वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की जायेगी। लेखा परीक्षकों द्वारा संशोधित राय दिये जाने पर सम्बन्धित राय का आधार भी प्रस्तुत किया जायेगा जो कि संशोधित, अनर्ह अस्वीकारीकरण की श्रेणियों में राय का	ISSAI-200, ISSAI-2700, ISSAI-2701,ISSAI-2705 ISSAI 2706,ISSAI-2720



आधार प्रदान किया

जायेगा।

सिद्धांत संप्रषण

9

लेखा परीक्षकों द्वारा ISSAI 200, ISSAI

लेखा परीक्षा प्रक्रिया 2240, ISSAI-2701,

के समय प्रभावी ISSAI-2705, ISSAI

संप्रषण स्थापित करना 2706

चाहिए

वित्तीय  
साक्ष्यांकन  
लेखापरीक्षा  
का अर्थ एवं  
मुख्य उद्देश्य

4. (1) किसी भी इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप वित्तीय स्थिति, परिणाम, विवरणों और संसाधनों के उपयोग का स्वतंत्र मूल्यांकन है, जिसके परिणाम स्वरूप तर्कसंगत आश्वासन की राय प्रदान की जा सकती है।

(2) वित्तीय साक्ष्यांकन का उद्देश्य और फोकस यह निर्धारित करना है कि वित्तीय विवरणों यथोचित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हैं, पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत किए गए हैं और सामान्य रूप से प्रयोज्य वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप हैं। राय की अभिव्यक्ति द्वारा यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि वित्तीय विवरण त्रुटि एवं कूटरचना के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

(3) वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा के द्वारा वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा राय प्रदान के अतिरिक्त लेखा परीक्षा अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

क. वित्तीय विवरणों की जांच एवं मूल्यांकन और इसके द्वारा राय एवं की अभिव्यक्ति राय का आधार।

ख. वित्तीय लेनदेनों एवं प्रणालियों की लेखापरीक्षा जिसमें लागू संविधियों एवं विनियमों के अनुपालन का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा, जिसके द्वारा जो लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता एवं संपूर्णता का आश्वासन प्रदान करता है।

ग. आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा जो कि परिसंपत्तियों एवं संसाधनों की सुरक्षा में सहायता लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता एवं संपूर्णता का आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है।

घ. तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए समग्र रूप से वित्तीय विवरणों धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से विमुक्त है।

ङ. रिपोर्ट के माध्यम द्वारा लेखापरीक्षक राय के आधार को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है कि क्या वित्तीय विवरण समस्त महत्वपूर्ण स्वरूपों में, प्रचलित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा

च. लेखापरीक्षित इकाई के प्रबंधन को वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा के परिणाम निष्कर्ष के बारे में संसूचित किया जायेगा।



5. (क) महत्त्व

सूचना का महत्त्व वित्तीय विवरणों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में अशुद्धि या मिथ्या विवरण होने के कारण उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। महत्त्व मद की व्यापकता या त्रुटियों की विनिश्चिता विशेषकर अशुद्धि या मिथ्या विवरण पर निर्भर करती है। इस प्रकार, महत्त्व प्राथमिक गुणात्मक विशेषता जो सूचना के उपयोगी होने के लिए स्थान पर सीमा या निर्दिष्ट संकेत प्रदान करती है।

लेखा परीक्षक को परिणात्मक (राशि के अनुसार) और जब गुणात्मक (स्वरूप द्वारा) शर्तों में प्रासंगिक हो, दोनों में महत्त्व की अवधारणा को प्रयोग एव लेखापरीक्षा की कार्ययोजना लेखापरीक्षा सम्पादन, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना और परिणामों पर रिपोर्टिंग करना ।

(ख) वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

i. वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा ऑडिट इकाई के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली सभी महत्त्वपूर्ण मदों के अभिगणना, मान्यकरण, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करने के लिए मापदंडों के सहमूहिकरण को अवधारित करता है। वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा, वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य उपबंध है। वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा संपादित करने के लिए उचित प्रस्तुतीकरण रूपरेखा को इस नियम संग्रह में अंतर्निहित किया गया है।

ii. वित्तीय विवरण वित्तीय रूपरेखा के अनुसार तैयार किया जाना अपेक्षित है, लेखापरीक्षा में दो प्रकार की रूपरेखा होती है

- उचित प्रस्तुतीकरण रूपरेखा एव
- अनुपालन रूपरेखा

(ग) उचित प्रस्तुतीकरण रूपरेखा

उचित प्रस्तुतीकरण रूपरेखा वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा से संबंधित है जिससे रूपरेखा की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया जा सके -

i. स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरणों का उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त करने के लिए रूपरेखा द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित के अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए प्रबंधन हेतु अनिवार्य हो सकता है या।

ii. स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त करने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता से अलग होने के लिए प्रबंधन हेतु आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार से अंत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में विचलन की आवश्यकता होना अपेक्षित है।

(घ) अभिकथन-

यह प्रबंध के वित्तीय विवरणों के माध्यम से उपयोगिताकर्ता को सूचित करता है कि वे इकाई की आर्थिक वास्तविकताओं के विषय में मूलभूत संदेश देते हैं। जो स्पष्ट रूप से वित्तीय विवरण में नहीं कहा गया हो, परंतु व उसमें निहित है। तुलन पत्र के अंतर्गत पूर्णता, मूल्यांकन, अस्तित्व, सवामित्व प्रकटीकरण, एवं आय व्ययक या प्राप्ति एवं भुगतान लेखों के अंतर्गत पूर्णता, घटित, मूल्यांकन, प्रकटीकरण, नियमित मार्गदर्शक सिद्धान्त है।



### (ड) अयथार्थ

जो प्रतिवेदित वित्तीय विवरणों में विभिन्न धनराशि, श्रेणीकरण, प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण एवं प्रयोज्य मदों एवं प्रचलित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप विभिन्न धनराशि, श्रेणीकरण, प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण विभिन्न मदों के मध्य में अंतर को अयथार्थ वित्तीय विवरण कहा जाता है। अयथार्थ वित्तीय विवरण त्रुटि या कूटरचना के कारण हो सकता है।

### (च) महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण जोखिम—

महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण जोखिम में दो घटक होते हैं, जिन्हें अभिकथन स्तर पर निम्नानुसार वर्णित किया गया है :—

**अंतर्निहित जोखिम**—एक लेखा का शेष की अतिसंवेदनशीलता अथवा अंतरण श्रेणी का गलत विवरण जिससे वास्तविक व्यक्तिगत, एवम् अन्य शेषों एवं श्रेणी में गलत विवरण को समेतिक करते समय ऐसा माना जा सकता है कि कोई भी आंतरिक नियंत्रण नहीं थे

**नियंत्रण जोखिम** एक लेखा का शेष जो गलत विवरण अर्थात् एक खाता शेष एवं अंतरण के प्रकार से हो सकता जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है अथवा अन्य शेषों एवं श्रेणियों गलत विवरण को समेतिक करते समय जिसे पता न लगाया गया हो अथवा लेखाकरण एवं आंतरिक नियंत्रण द्वारा उस समय उसमें सुधार नहीं किया गया।

### (छ) तर्कसंगत आश्वासन—

उसका अर्थ उच्च है, लेकिन पूर्ण आश्वासन नहीं है जो कि वित्तीय विवरणों को अशुद्धता से मुक्त करता है।

### (ज) राय—

वित्तीय लेखा परीक्षा के परिणाम के रूप में वित्तीय विवरणों का सेट जिस पर लेखा परीक्षक द्वारा लिखित निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

### (झ) अंशोद्धित राय —

लेखा परीक्षक द्वारा निष्कर्ष प्रदान किया जाता है कि वित्तीय विवरण समस्त महत्वपूर्ण स्वरूपों में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप प्रस्तुत किए गए हैं।

### (ञ) संशोद्धितराय के प्रकार

i. **सशर्त राय**— लेखा परीक्षक यह राय प्रदान की जाती है कि, अशुद्ध विवरण हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, व्यक्तिगत से या समग्र रूप से हों, या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं हैं,

ii. **प्रतिकूल राय**— जब अंकेक्षक द्वारा यह राय प्रदान की जाती है कि पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अशुद्ध विवरण, व्यक्तिगत रूप से या समेतिक रूप में, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण एवं व्यापक दोनों हैं।

iii. **राय का अस्वीकारियकरण**— अंकेक्षक एक राय का अस्वीकारियकरण करेगा जब अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हो, जिस पर राय को आधार बनाया जा सके, और अंकेक्षक यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि अज्ञात अशुद्ध विवरण पर संभाव्य प्रतिप्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण और व्यापक दोनों हो सकते हैं



शहरी निकायो  
का वित्तीय  
रिपोर्टिंग  
रूपरेखा

6. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए शहरी निकायो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं –  
• लागू लेखा नियम/नीति/नियम संग्रह—उत्तराखंड नगर निकाय लेखा नियम संग्रह (UMAM), 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित)

• प्रयोज्यता—समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत

• लेखांकन की पद्धति—प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली

• अवधि जिसके लिए वित्तीय विवरण तैयार किया जाना है—प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है या जैसा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित है।

• वित्तीय विवरणों के घटक

वार्षिक वित्तीय विवरणों द्वारा लेखापरीक्षा संपादित की जाएगी

✓ तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

✓ आय और व्यय लेखा

✓ नकद प्रवाह विवरण

✓ लेखों के लिए टिप्पणियाँ (महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और प्रकटीकरण सहित)

• लेखों का संयोजन— यूएलबी मैनुअल रूप से लेखों या कतिपय स्टैंडअलोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खातों की पुस्तकों का रखरखाव कर रहे हैं।

• वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर

वित्तीय विवरणों पर यूएलबी के निम्नवत् अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे –

✓ नगर निगम : आयुक्त

✓ नगर पालिका परिषद : कार्यकारी अधिकारी

✓ नगर पंचायत : कार्यकारी अधिकारी

पंचायती राज  
संस्थाओं का  
वित्तीय रिपोर्टिंग  
रूपरेखा

7. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं –

• लागू लेखा नियम/नीतियां—भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित आठ सरलीकृत प्रारूप

• प्रयोज्यता—जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत

• लेखांकन की पद्धति—नकद आधार लेखांकन

• अवधि जिसके लिए वित्तीय विवरण तैयार किया—प्रत्येक वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है या जैसा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

• वित्तीय विवरणों के घटक – वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा है

• सरलीकृत प्रारूप के अनुसार अन्य लेखे एवं रिजिस्टर—आर.एल.बी. द्वारा साल अन्य प्रारूपों तैयार किए जायेंगे यह वित्तीय विवरणों का भाग नहीं होंगे, लेकिन इन्हे अतिरिक्त रिपोर्ट के और इनका उपयोग लेखापरीक्षा के लिए सहायक अभिलेखों के रूप में किया



जा सकता है।

- ✓ प्रारूप II— समेकित सार रजिस्टर
- ✓ प्रारूप III— मासिक समाधान विवरण
- ✓ प्रारूप IV— प्राप्ति और भुगतान का रजिस्टर
- ✓ प्रारूप V— अचल संपत्ति का रजिस्टर
- ✓ प्रारूप VI— चल संपत्ति का रजिस्टर
- ✓ प्रारूप VII— इन्वेंटरी स्टॉक रजिस्टर
- ✓ प्रारूप VIII— मांग संग्रह और शेष राशि का रजिस्टर

•लेखे का संयोजन— ई—ग्रामस्वराज के अंतर्गत आर.एल.बी. द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी

•वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर— वित्तीय विवरणों पर निम्नवत् उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे :

- ✓ जिला पंचायत : अपर मुख्य कार्याधिकारी
- ✓ क्षेत्र पंचायत : खंड विकास अधिकारी,
- ✓ ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायत, सचिव

विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं प्रारूप	8	लेखापरीक्षा रिपोर्ट का नाम	रिपोर्ट की विशेषताएं	रिपोर्ट का प्रारूप
		(क) स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय प्रदान करना। समस्त शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लिए निर्गत की जाएगी जहां साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा की जाती है।	स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की शीर्षक निम्नलिखित सम्मिलित होंगे — 1. रिपोर्ट का शीर्षक 2. प्रेषिती 3. लेखा परीक्षा की राय 4. राय का आधार 5. विषय वस्तु पर प्राथमिकता (उपयुक्त होने की परिस्थिति में प्रतिवेदित किया जायेगा) 6. प्रबंधन का वित्तीय विवरणों के संबंध में उत्तरदायित्व (यू.एल.बी. आर.एल.बी. का नाम सहित) 7. लेखापरीक्षित वित्तीय



विवरणों के संबंध में  
लेखा परीक्षकों का  
उत्तरदायित्व

8. कानूनी, नियामक और  
अन्य आवश्यकताओं पर  
रिपोर्ट (उपयुक्त होने  
की परिस्थिति में  
प्रतिवेदित किया  
जायेगा)
9. लेखापरीक्षकों का नाम,  
पता और हस्ताक्षर  
दिनांक सहित
10. स्वतंत्र  
लेखापरीक्षकों की  
रिपोर्ट का परिशिष्ट  
(उपयुक्त होने की  
परिस्थिति में प्रतिवेदित  
किया जायेगा)

(ख) प्रबंधन पत्र सामान्य रूप से लेखा प्रबंधन पत्र में एक  
परीक्षक के विवेक पर वित्तीय कार्यकारी सारांश  
पत्र सत्यापन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के सम्मिलित होगा और  
साथ जारी किया जायेगा। आडिटी प्रमुख को  
संबोधित किया जाएगा  
प्रबंधन पत्र की विषय  
वस्तु निम्नवत हैं :-

- (1) कार्यकारी सारांश
- (2) उत्तम संचालन:  
वित्तीय लेखा परीक्षा में  
दृष्टिगत उत्तम संचालनों  
कार्यों को प्रमुखता से  
प्रस्तुत किया जायेगा
- (3) आधारभूत मुख्य  
विश्लेषण, प्रकरण और  
संस्तुतिया
- (4) लेखापरीक्षा  
टिप्पणियों का सम्पूर्ण  
विवरण

(ग) विस्तृत विस्तृत लेखा परीक्षा का आधार (1) सामान्य सूचनाये  
लेखा परीक्षा औचित्य, नियमितता, धन (2) उद्देश्य कार्यक्षेत्र एवं  
लेखा परीक्षा के मापदण्ड



उपादेयता लेखा की लेखा परीक्षा है। इसके अन्तर्गत समाविष्ट करते हुये आधारित औचित्य, नियमितता, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा सिद्धांतों पर आधारित होगा, इनटोसाई मानक ISSAI-100 सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के मूलभूत सिद्धांत, ISSAI-200 वित्तीय लेखापरीक्षा के मूलभूत सिद्धांत ISSAI-300 निष्पादन लेखा परीक्षा के मूलभूत सिद्धांत ISSAI- 400 अनुपालन लेखा परीक्षा के सिद्धांत यह समस्त सिद्धान्त विस्तृत लेखा परीक्षा के मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे जिसके द्वारा लेखा परीक्षा के मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नवत् मानकों को भी लेखा परीक्षा के लिये आधार लिया जायेगा—

1. वित्तीय लेखा परीक्षा  
ISSAI- 2000-2999
2. निष्पादन लेखा परीक्षा  
ISSAI- 3000- 3999
3. अनुपालन लेखा परीक्षा  
ISSAI- 4000-4999

वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त मानकों एवं सिद्धांतों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लिये विस्तृत लेखा परीक्षा हेतु पृथक से लेखा परीक्षा नियम संग्रह प्रख्यापित किया जाएगा।

विस्तृत लेखा परीक्षा निम्नलिखित परिस्थितियों में किए जाने का निर्णय लिया जाएगा -

उदाहरणार्थ सम्बन्धित शहरी निकायों में गबन की लेखा परीक्षा, सम्बन्धित जिलों या सम्बन्धित ग्रामीण या शहरी निकायों में योजना की लेखा परीक्षा इत्यादि। मापदण्ड के अन्तर्गत यह समाविष्ट किया जायेगा कि किस प्रकार की लेखा परीक्षा सम्पादित की जानी है। नियमितता अनुपालन एवं निष्पादन इत्यादि।

(3) लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सम्पूर्ण विवरण

(4) लेखा परीक्षा के उद्देश्यों कार्यक्षेत्रों के आधार पर निष्कर्ष

(5) विगत वर्षों की लेखा परीक्षा प्रास्थिति एवं ऑडिटी द्वारा दिये गये उत्तर

(6) संस्तुतियां



1. वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा से लेखा परीक्षा निष्कर्ष महत्वपूर्ण/असामान्य /व्यापक हैं और इन निष्कर्षों के कारण और प्रभाव की पहचान करने के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता है (आपवादिक प्रतिबंधात्मक हैं/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा प्रतिकूल या राय का अस्वीकारण अभिव्यक्त किया गया है),
2. लेखापरीक्षा के दौरान धोखाधड़ी या गंभीर अनियमितताओं के दृष्टांत का प्रकटीकरण हुआ है
3. सचिव, वित्त के स्वनिर्णय पर विशेष लेखा परीक्षा या निदेशक, लेखा परीक्षा (उदाहरण के लिए अपने स्वविवेक पर प्रत्येक वर्ष निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किए जानेवाले ग्रामीण एवं शहरी निकायों
4. शहरी विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास के प्रशासनिक विभागों या सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के अनुरोध पर विशिष्ट इकाईयों या विशिष्ट योजनाओं या अधिष्ठान इत्यादि विषयों पर लेखा परीक्षा का सचिव, वित्त द्वारा सम्पादित कराई जा सकती है।



(इन्टोसाई)  
INTOSAI  
द्वारा  
सावर्जनिक  
लेखापरीक्षा  
एवं वित्तीय  
लेखापरीक्षा  
के सिद्धांतों  
एवं महत्त्वपूर्ण  
मानकों की  
सूचीबद्धिकरण

9 सिद्धांत एवं  
मानक  
संख्या

ISSAI  
20

सर्वाजनिक लेखापरीक्षा  
सिद्धांत (ISSAI- 100),  
वित्तीय लेखापरीक्षा  
सिद्धांत (ISSAI-200)  
एवं INTOSAI-वित्तीय  
लेखापरीक्षा मानकों  
(ISSAI-2000 - ISSAI  
2999)

पारदर्शिता और  
जवाबदेही के सिद्धांत

संक्षिप्त विवरण

1. विधिक रूपरेखा के अंतर्गत कर्तव्यों को उपबंधित करना जिसके जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
2. लेखा परीक्षा मानकों, प्रक्रियाओं और विधियों को अंगीकृत करना जो वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी हों
3. सभी स्तरों के कार्मिकों के लिए सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्च मानकों को लागू करना
4. यह सुनिश्चित करना कि कार्यो को आउटसोर्स करते समय जवाबदेही और पारदर्शिता सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा
5. संचालित कार्यो का प्रबंधन पर मितव्ययता, दक्षतापूर्वक, प्रभावीपूर्ण एवं कानूनों और विनियमों के अनुरूप और इन विषयो के अनुसार रिपोर्टों को तैयार करना
6. यथासमय लेखापरीक्षा परिणामों को संसूचित किया जाना
7. बहाय और स्वतंत्र परामर्श का उपयोग कार्यो की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उन्नयन हेतु किया जाएगा

ISSAI  
130

आचार संहिता

ISSAI  
140

गुणवत्ता नियंत्रण

उसके अंतर्गत पाँच मूलभूत सिद्धांत हैं—  
अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता  
योग्यता व्यावसायिक व्यवहार  
गोपनीयता और पारदर्शिता  
इस रूपरेखा के अंतर्गत किए गए  
समस्त लेखा परीक्षा कार्यो, अर्थात



वित्तीय लेखा परीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा और किए गए किसी भी अन्य कार्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली पर लागू करने अभिप्राय है।

ISSAI 100	सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के मूलभूत सिद्धांत	समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षाओं में लागू की जाने वाली आवश्यक अवधारणाओं, घटकों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह लेखापरीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार एवं सामान्य सिद्धांतों के घटकों और ऑडिट प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
ISSAI 200	वित्तीय लेखापरीक्षा के मूलभूत सिद्धांत	वित्तीय लेखापरीक्षा के सिद्धांतों में वित्तीय लेखा परीक्षा की समस्त गतिविधियां समाविष्ट होंगी
ISSAI 2220	वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण	लेखा परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व कि गतिविधियां
ISSAI- 2230	ऑडिट प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण एवं लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त किया जाना।	लेखा परीक्षा सम्पादन एवं संचालन, लेखापरीक्षा अभिकथन
ISSAI 2240	वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व	लेखा परीक्षा कार्ययोजना एवं जोखिम आकलन
ISSAI 2250	वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों तथा विनियमों के अनुसार	लेखा परीक्षा कार्ययोजना एवं जोखिम आकलन
ISSAI 2300	वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की योजना	वित्तीय लेखा परीक्षा की कार्ययोजना
ISSAI 2315	सत्त्व के ज्ञान एवम परिस्थितियाँ के माध्यम से महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के जोखिमों का अभिज्ञान एवम आकलन	लेखापरीक्षा के समय समस्त दृष्टिगत अशुद्ध विवरण का सम्पूर्ण प्रलेखन
ISSAI 2320	लेखा परीक्षा कार्ययोजना और सम्पादन में महत्त्व	महत्त्व की गणना लेखा परीक्षा कार्ययोजना, सम्पादन एवं संचालन की अवधि में किया जाना



ISSAI 2330	लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन किए गए जोखिमों पर प्रतिक्रिया	लेखापरीक्षा कार्ययोजना—सत्व का ज्ञान, जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत अशुद्ध विवरणों का सम्पूर्ण प्रलेखन
ISSAI 2450	लेखा परीक्षा की अवधि में दृष्टिगत अयथार्थ विवरण का मूल्यांकन	सुसंगत कार्य पद्धतियों प्रत्येक महत्त्वपूर्ण श्रेणियों संव्यवहारों, लेखा शेष, प्रकटन निरपेक्ष निर्धारित जोखिम महत्त्वपूर्ण अयथार्थ विवरण
ISSAI 2500	लेखा परीक्षा साक्ष्य	लेखा परीक्षा सम्पादन एवं संचालन, लेखापरीक्षा अभिकथन
ISSAI 2505	बहाय पुष्टिकरण	लेखा परीक्षा सम्पादन एवं संचालन, लेखापरीक्षा अभिकथन
ISSAI 2520	विश्लेषणात्मक प्रक्रिया	लेखा परीक्षा सम्पादन एवं संचालन, लेखापरीक्षा अभिकथन
ISSAI 2530	लेखा परीक्षा नमूनाकरण	परीक्षण की सीमा का अवधारणा (प्रतिदर्श परिणाम)
ISSAI 2540	लेखा परीक्षा लेखाकरण अनुमान के अन्तर्गत उचित लेखांकन अनुमान, और संबंधित प्रकटीकरण	लेखा परीक्षा सम्पादन एवं संचालन, लेखापरीक्षा अभिकथन
ISSAI 2580	लिखित अभिवेदन	लेखा परीक्षा प्रक्रियों का दस्तावेजीकरण इस प्रकार से किया जाना कि पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जा सके और जिसके आधार पर लेखा परीक्षक राय प्रदान करेगा। लेखा परीक्षा के संचालन के दृष्टिगत गए गलत विवरणों का सम्पूर्ण अभिलेखित किया जाना
ISSAI 2700	वित्तीय विवरणों पर राय बनाना प्रदान करना एवं प्रतिवेदित करना	लेखा परीक्षा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष अंकित करना की समग्र रूप से वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर राय की गयी है। राय को स्पष्ट रूप से लिखित रिपोर्ट में व्यक्त किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त राय के आधार कि व्याख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए।



ISSAI  
2701

मुख्य लेखा परीक्षा विषयो  
का स्वतंत्र लेखा परीक्षा  
रिपोर्ट के द्वारा संसूचना

मुख्य लेखा परीक्षा विषयो की पहचान करना और यह निष्कर्ष अंकित करना कि समस्त घटकों के लिए यथेष्ट लेखा परीक्षा कार्य को संपादित किया गया है।

ISSAI  
2705

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों  
की रिपोर्ट में राय में  
संशोधन

लेखा परीक्षा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष अंकित करना कि समग्र रूप से वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर राय आधारित है। राय को स्पष्ट रूप से लिखित रिपोर्ट में व्यक्त किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त राय की आधार कि व्याख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए

ISSAI  
2706

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की  
रिपोर्ट में विषयो की  
अवधारणा पर अनुच्छेद एवं  
अन्य विषयो से संबन्धित  
अनुच्छेद

विषयो की अवधारणा पर अनुच्छेद वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति या सूचना को संदर्भित करता है, उदाहरणार्थ लंबित अभियोग वित्तीय विवरणों पर संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। अन्य विषयो से संबन्धित अनुच्छेद ऐसे विषयो को संप्रेषित संसूचित करने का अवसर प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया गया है एवं जो उपयोगकर्ताओं को लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाने चाहिए या लेखापरीक्षक की उत्तरदायित्व के अंतर्गत है

ISSAI  
2720

लेखा परीक्षक वित्तीय  
विवरण में अन्य सूचनाओ  
प्रालेखो से संबंधित लेखा  
परीक्षकों के उत्तरदायित्व

लेखा परीक्षा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष अंकित करना की समग्र रूप से वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर राय की गयी है। राय को स्पष्ट रूप से लिखित रिपोर्ट में व्यक्त किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त राय के आधार कि व्याख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव



In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. A-584/XXVII (6)/1466/Three/2021, Dehradun, dated 06-12-2021 for general information:

**Government of Uttarakhand,  
Finance Section-06  
No. A-584 /XXVII (6)/1466/Three/2021  
Dehradun, Date : 06, December, 2021  
Notification**

*In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttarakhand Act Number 02 of 2012), as per the Principles and Standards laid down by International Supreme Audit Institution (INTOSAI) from time to time to the extent on Financial Attest audit Governor is pleased to allow to promulgate the Uttarakhand Financial Attest Audit, Manual namely*

**The Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021  
(Financial Audit Standard, Principles, Financial Attest Audit its Steps  
Standardized Formats and Checklists)**

**Short Title, extent 1  
and Commencement**

(1) This manual may be called the Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021.

(2). This audit manual has two volumes-volume - I and volume -II and a checklist for the Audit of Urban and Rural Local Bodies. These apply to all such auditees notified under the Gazette Notification No. 495/XXVII/2012 dated 26<sup>th</sup> November 2012, as per the provision of Section -4(1) of the Uttarakhand Audit Act 2012. Auditee, includes all Urban Local Bodies, i.e., Municipal Corporations, Nagar Palikas, Nagar Panchayats and Rural Local Bodies i.e., Zilla Panchayats, Block/Kshetra Panchayats, Gram Panchayats.

(3) Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021 is based on the standards and principles prepared by International Standards of Auditing Institutions (ISSAI) and issued by International Apex Audit Institutions (INTOSAI); the standards and principles have been adopted to the extent that they are consistent with the rules and Government Orders issued by the Government of Uttarakhand.

(4) Under the overall guidance of the Finance Department, the Directorate of Audit and Audit Cell, shall carry out all the work related to the Financial Attest audit under Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, 2021.

(5) The main goal of the Directorate of Audit is the implementation of the audit manuals. In this regard Directorate shall prepare an annual audit plan,



assess human resources strength for audit, allocation to audit parties as per their skills sets, Audit implementation, audit documentation and reporting, quality enhancement and monitoring of audit shall be carried out.

(6) The Audit Cell shall carry out the technical, advisory role for recommendations and suggestions on Audit manuals, recommendation on updating of auditing standards/ principles/ methodologies, phase-wise introduction of new avenues and in Audit, setting up of IT Solutions, Computer Aided Audit Techniques (CATTs).

(7) The audit teams in the field during audit shall follow Principles of Code of Conduct, Independence, Confidentiality, and Integrity shall be followed by audit works shall be carried out in compliance with the audit manuals. The audit parties or any officers involved in Financial Attest Audit have to annually sign the Declaration of Code of Ethics and Independence for the commencement of such audit.

(8) This Audit Manual shall come in force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

**Provision of  
Technical  
Guidance and  
Support by  
Comptroller  
and Auditor  
General of  
India**

2

(1) As per the Letter of Government of Uttarakhand No. 427/VA. Nid (13th FC)/2013 dated 19.03.2013, have adopted the provisions of Technical Guidance Support (TGS), as laid down by Comptroller and Auditor General of India. The 13<sup>th</sup> FC recommendations included strengthening audits for local bodies by enhancing the technical and professional competence of external auditors of State Government, under the guidance of Comptroller and Auditor General of India. The Director of Audit is a Primary Statutory Auditor for the audit of Urban and Rural Local bodies as per provisions of Technical Guidance and Support (TGS) for the State.

(2) Now, the State Government of Uttarakhand, has decided to issue a Financial Attest Audit manual under Section 20 of the Uttarakhand Audit Act 2012 and as per the Technical Guidance Support (TGS) provisions of Comptroller and Auditor General of India, for conducting audits of financial statements of all Urban and Rural Local Bodies. The manual shall provide guiding principles to audit the financial statements of Urban Local Bodies and Rural Local bodies, which is a mandatory condition for the release of untied grants under the XVth Finance Commission.

**Fundamental  
principles of Public  
Sector Audit –  
ISSAI-100 and  
Financial Audit**

3

(1) ISSAI 100 establishes the fundamental principle which applies to all public sector audit engagements. ISSAI 200 in a specific context for Financial Audit complements the fundamental principles of ISSAI-100. Together they both principles in combined manner as mentioned above constitutes the basis for INTOSAI's complete set of professional



**(ISSIA-200) and their mutual relationship**

pronouncements.

(2) The general principles of public sector auditing are set out in ISSAI 100 and standards on ethics, quality control, and overall responsibilities of an auditor for audit of financial statements. The following are the fundamental principles as mentioned below

<b>Principle of Auditing</b>	<b>Brief explanation as per ISSAI 100</b>	<b>ISSAI-100 fundamental Principle and their relationship in terms of Financial Audit Standards (ISSAI-200)and principles of Financial Audit from 2200-2999</b>
------------------------------	---	---

<b>Principle 1 Ethics and Independence</b>	Auditors should comply with relevant ethical requirements and be independent.	ISSAI-130, ISSAI 200
--	---	----------------------

<b>Principle 2 Professional Judgement, Due Care, and Scepticism</b>	Auditors should maintain appropriate professional behavior by applying professional skepticism, professional judgment, and due care throughout the audit period.	ISSAI-200, ISSAI-2200
---	--	-----------------------

<b>Principle 3 Quality Control</b>	Auditors should perform the audit in accordance with professional standards on quality control	ISSAI-140, ISSAI-2220, ISSAI-200.
------------------------------------	--	-----------------------------------

<b>Principle 4 Audit team management and skills</b>	Auditors should compulsorily possess or have access to the necessary skills	ISSAI-2220
---	---	------------

<b>Principle 5 Audit Risk</b>	Auditors should manage the risks in audit report in the circumstances	ISSAI-200, ISSAI-2315
-------------------------------	---	-----------------------



<b>Principle 6 Materiality</b>	Auditors should consider materiality throughout the audit process	ISSAI-200, ISSAI-2320
<b>Principle 7 Documentation</b>	Auditors should prepare audit documentation in sufficient detail to provide a clear understanding of work performed, evidence obtained, and conclusions reached	ISSAI-200, ISSAI 2230, all other relevant ISSAI
<b>Principle 8 Reporting and follow up</b>	The auditor should prepare a report in a written format with an opinion on the audited financial statement. The Opinion may be unmodified or modified. In case of modified opinion basis of opinion shall be included as Adverse, Disclaimer of Opinion	ISSAI-200, ISSAI-2700,ISSAI-2701,ISSAI-2705, ISSAI 2706,ISSAI-2720
<b>Principle 9 Communication</b>	Auditors should establish effective communication throughout the audit process	ISSAI 200, ISSAI 2240 ISSAI-2701,ISSAI-2705, ISSAI 2706

**Financial Attest  
Audit and  
Objectives**

- 4 (a) An independent assessment, resulting in a reasonable assurance opinion, of whether an entity's reported financial condition, results, statement and use of resources are presented fairly as per the financial reporting framework.
- (b) The objective and focus are to determine whether the financial statements are properly prepared, complete in all respects, are presented with adequate disclosures, and are per the applicable financial reporting and regulatory framework. The expression of an opinion is whether the financial information is free from material misstatement due to error or fraud.



(c) The other objectives of Financial Attest Audit other than the opinion on financial statement audit are mentioned below -

1. Examination and Evaluation of financial statements and provide opinion and expression of Opinion
2. Audit of financial transactions and systems, including assessment of compliance with applicable statutes and regulations, which assures accuracy and completeness of accounting records
3. Audit of internal controls that helps in the protection of assets and resources that assure accuracy and completeness of accounting records
4. To obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatements due to fraud or error.
5. Thereby enabling the auditor to express an opinion through a report on whether Financial Statements are prepared, in all material respects, as per applicable financial reporting framework; and
6. To communicate the result of the Financial Attest Audit to the management of the audited unit

**Major Terminologies 5  
in Financial Attest  
Audit Manual**

**a. Materiality**

Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users made based on the financial statements. Materiality depends on the item's size or error judged in the particular circumstances of its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point rather than a primary qualitative characteristic that information must have if it is useful.

The auditor should apply the concept of materiality, both in quantitative (by amount) and when relevant in qualitative (by nature) terms, when planning and performing the audit, evaluating the findings, and reporting on the results

**b. Financial reporting framework**

(i) Financial Reporting Framework refers to the set of criteria to determine the measurement, recognition, presentation, and disclosure of all material items appearing in the Financial Statements of the audit unit. An acceptable financial reporting framework is a precondition for the Financial Attest Audit. Fair Representation Framework has been included in the manual for Financial Attest Audit.

(ii) Financial statements are required to be prepared according to the financial framework, there are two types of the framework in the audit—The fair presentation framework and the compliance framework.

**c. Fair Presentation Framework**

Fair presentation framework is used to refer to a Financial Reporting Framework that requires compliance with the requirements of the framework

(1) acknowledges explicitly or implicitly that, to achieve fair presentation of the financial statements, it may be necessary for management to



provide disclosures beyond those specifically required by the framework; or that

(2) Acknowledges explicitly that it may be necessary for management to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of the financial statements. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances

**(D) Assertion**

By, Assertion, management through the financial statements conveys a fundamental message about the economic realities of the entity to the user. That is not explicitly stated in the financial statements, but they are implied. Under balance sheet the following are assertions -: completeness, valuation, existence, ownership, disclosure and in income-expenditure or receipt and payment accounts the following are assertions- Completion, occurrence, valuation, disclosure, regularity is guiding principles.

**(E) Misstatement**

A difference between the amounts, classification, presentation, or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation, or disclosure that is required for the item to be as per the applicable financial reporting framework. Misstatements can arise from error or fraud.

**(F) Risk of material misstatement**

The risk of material misstatement consists of two components, described as follows at the assertion level:

**Inherent risk** – The susceptibility of an assertion about a class of transactions account balance or disclosure to a misstatement that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements, before consideration of any related controls.

**Control risk** – The risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transactions, account balance, or disclosure and that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements, shall not be prevented or detected and corrected, on a timely basis by the entity's internal control

**(G) Opinion**

The auditor's written conclusions on a set of financial statements resulting from a financial audit.

**(H) Reasonable Assurance**

It means high but absolute assurance that the financial statements are free from material misstatements.

**(I) Unmodified Opinion**

If the auditor reports that the financial statements have been prepared, in all material respects, as per the applicable financial reporting framework

**(J) Types of Modified Opinion:**

**I. Qualified opinion** – when the auditor concludes that, or is unable to obtain



sufficient and appropriate audit evidence about, misstatements, whether individually or in the aggregate are, or could be, material but not pervasive;

II. **Adverse opinion** – The auditor shall express an adverse opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements, individually or in the aggregate, are both material and pervasive to the financial statements

III . **Disclaimer of Opinion** – The auditor shall disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive.

**Financial Reporting Framework of ULBs**

6 The vital concepts related to the Financial Reporting Framework used by the Urban Local Bodies for the preparation and presentation of the Financial Statements are as follows

<b>Applicable Accounting Rules/Policies/ Manual Applicability</b>	Uttarakhand Municipal Accounting Manual (UMAM) 2021 (as amended from time to time) Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat
<b>Method of Accounting to be followed</b>	Accrual Based Double Entry Accounting System
<b>Period for which Financial Statements to be prepared</b>	Each financial year starting from April 1 and ending on March 31 <sup>st</sup> or as directed by the Government of Uttarakhand
<b>Components of Financial Statements</b>	The Financial Statements comprises of <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance sheet</li> <li>• Income and Expenditure Account</li> <li>• Cash Flow Statement</li> <li>• Notes to Accounts (including Significant Accounting Policies and Disclosure</li> </ul>
<b>Mode of preparation</b>	ULBs maintain books of accounts in manual form, or some cases using standalone accounting software
<b>The signing of the Financial Statements</b>	The Financial Statements shall be signed by the authorized representative of Nagar Nigam: Commissioner Nagar Palika: Executive Officer Nagar Panchayat: Executive Officer



**Financial Reporting Framework of RLBs**

The vital concepts related to the Financial Reporting Framework used by the Rural Local Bodies for the preparation and presentation of the 7 Financial Statements are as follows

<p><b>Applicable Accounting Rules/ Policies/ Manual</b></p>	<p>Eight Simplified, Formats for Panchayati Raj institutions by Comptroller and Auditor General of India</p>
<p><b>Applicability</b></p>	<p>Zilla Panchayat, Kshetara Panchayat and Gram Panchayat</p>
<p><b>Method of Accounting to be Followed</b></p>	<p>Cash Basis of Accounting</p>
<p><b>Period for which Financial Statements to be prepared</b></p>	<p>Each financial year ending on March 31<sup>st</sup> or as directed by the Government of Uttarakhand</p>
<p><b>Components of Financial Statements</b></p>	<p>The Financial Statements would comprise of format I – Annual Receipts and Payments Account</p> <p>Apart from the above format, the following seven formats are also to be prepared by the RLBs; however, this would not form part of the Financial Statements but could be considered subsidiary reports and used for audit.</p> <p>Format II – Consolidated Abstract Register</p> <p>Format III–Monthly Reconciliation Statements</p> <p>Format IV – Register of Receivable and Payments</p> <p>Format V – Register of Immovable Assets</p> <p>Format VI –Register of Movable Assets</p> <p>Format VII – Inventory Stock Register</p> <p>Format VIII – Register of Demand Collection and Balance</p>
<p><b>Other Formats as Per Simplified, Formats of Account for RLBs</b></p>	



**Mode of preparation**

Preparation of accounts by RLBs through e-Gram Swaraj online medium

**The signing of the Financial Statements**

The appropriate authority shall sign the Financial Statements are -:

Zilla Panchayat: Mukhiya Karyadhikari,  
Kshetra Panchayat: Block Development Officer,  
Gram Panchayat: Panchayat, Secretary

**Types of Audit report**

8

S.  
N  
o

**Name of Report**

**Audit**

**Features of report**

**of**

**Report headings**

**a Independent Auditors Report**

To provide an audit opinion on the Financial Statements. *Report.* This report shall be issued for all ULBs and RLBs where Financial Attest Audit is undertaken.

Independent Auditor's Report would include the following headings:  
1- Title of the Report  
2- Addressee  
3- Auditors' Opinion  
4- The basis for Opinion  
5- The emphasis of matter (to be reported wherever applicable)  
6- Responsibilities of Management of (insert name of the ULBs/ RLBs) for the Financial Statements  
7- Auditors' Responsibilities for the Audited Financial Statements  
8- Report on Legal, Regulatory and Other Requirements (to be reported wherever applicable)  
9- Name, Address and Signature of Auditors along with the date  
10- Appendix to the Independent Auditors Report (to be reported wherever applicable)



**b Management Letter** The Management Letter is generally issued along with the Financial Attest Audit report at the auditor's discretion. The Management Letter shall include an Executive Summary and shall be addressed to the Head of the Auditee. The content of the Management Letter is provided as below -.

1. Executive summary
2. Good practice: highlighting the good practices observed during the Financial Attest Audit report.
3. Key, analysis, issues, and recommendation
4. Details of Audit Observation

**c Detailed Audit** A detailed audit shall be based on the proprietary, regularity, Value of money, which is in totality shall be a detailed audit regarding Compliance, Regularity, Propriety, Performance Audit. INTOSAI Standards-100 for Fundamentals of Public Sector Audit, ISSAI-200 Principle of Financial Audit, ISSAI -300 i.e., Principle of performance Audits and ISSAI-400 principle for Compliance Audit shall be the guiding principles as per the Subject Matter. In addition to this base shall be taken for Audit

1. Financial Audit- ISSAI 2000- 2999
2. Performance Audit-ISSAI 3000- 3999
3. Compliance Audit -ISSAI-4000- 4999

The Finance Department shall issue a manual for a detailed Audit of ULB and RLB as per the above-mentioned standards and principles. A detailed audit may be conducted in

The content of the detailed audit report has been provided below.

1. General Information
2. Objectives, areas and Criteria for the audit for e.g., Instance of Audit Fraud in any ULB or Procurement Process or Audit any Scheme over a particular district or certain number of ULBs or RLBs etc. the Criteria shall include the type of audit whether regularity,



- one following Condition -
1. Audit findings from Financial Attest Audit are significant/material/pervasive, and there is a need to apply detailed audit procedures to identify the cause and effect of these findings (there are significant qualifications/audit report is adverse or disclaimer);
  2. instances of fraud or serious irregularities have been noticed during the audit.
  3. At the discretion of the Secretary Finance as special Audit or Director, Audit (e.g., the Director of Audit at its discretion may select a sample of ULBs/RLBs to be undertaken for detailed audit every year.
  4. Special request from Urban Development/ Panchayati Raj/ Rural Development Administrative Departments or Head of Departments of these Finance, Secretary to conduct a detailed audit for specific compliance or Performance
  3. Complete details of Audit Observations in each area separately
  4. Conclusion or Opinion on basis of audit Criteria and objectives
  5. Compliance of previous audit Observation and answers given by auditee
  6. Recommendations

**List of principle and important Standards laid down by INTOSAI for Public Sector Audit and Financial Audit**

9	ISSAI NUMBER	Name of ISSAI Standards	Brief description
	ISSAI-10	Principles of Transparency and	Principles of transparency and accountability are the following: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duties under a legal framework that provides for accountability and transparency</li> <li>2. Adopt audit standards, processes and methods that are objective and transparent</li> <li>3. Apply high standards of integrity and ethics for staff of all levels</li> <li>4. Ensure accountability and transparency</li> </ol>



		<p>principles are not compromised when outsourcing activities</p> <p>5. Manage their operations economically, efficiently, effectively and in accordance with laws and regulations and reports on these matters</p> <p>6 Communicate timely and widely on activities and audit results</p> <p>7 Use of external and independent advice to enhance the quality and credibility of their work</p>
ISSAI 130	Code of Ethics	<p>The five fundamental principles are -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrity,</li> <li>• Independence and Objectivity;</li> <li>• Competence;</li> <li>• Professional behaviour,</li> <li>• Confidentiality and transparency.</li> </ul>
ISSAI 140	Quality Controls	<p>This framework is designed to apply to the system of quality control for all the work carried out, i.e., financial audits, Compliance audits, Performance audits and any other work carried out</p>
ISSAI 100	Fundamental Principles of Public Sector Auditing	<p>Provides the essential concepts, elements and principles that apply to all public sector audits. It sets out the types and elements of the general principles related to an audit and the principles related to the different phases of the audit process.</p>
ISSAI 200	Fundamental Principles of Financial Auditing	<p>Principles of Financial Audit includes all the activities for Financial Audit</p>
ISSAI	Quality Control for an	Pre-engagement activities



2220	Audit of Financial Statements	
ISSAI 2230	Documentation of the Audit Procedures Performed and Audit Evidence Obtained	Audit execution and audit evidence collection
ISSAI 2240	The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements	Planning and risk assessment
ISSAI 2250	Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements	Planning of Financial Audit
ISSAI 2300	Planning of an Audit of Financial Statements	Planning of Financial Audit
ISSAI 2315	Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment	Planning and risk assessment , full record of misstatements identified during the audit;
ISSA 2320	Materiality in Planning and Performing an Audit	Calculation of materiality for Planning and execution or during conducting the audit
ISSAI 2330	Auditors Response to Assessed Risks	Planning of audit, i.e., understanding the entity, risk assessment, full record of misstatements identified during the audit;
ISSAI 2450	Evaluation of Misstatement Identified during the Audit	Relevant procedures for each material class of transactions, account balance and disclosure, irrespective of the assessed risks of material misstatement
ISSAI 2500	Audit Evidence	Relevant procedures for each material class of transactions, account balance and disclosure, irrespective of the assessed risks of material misstatement
ISSAI 2505	External Confirmations	Audit Assertion



ISSA 2520	Analytical procedure	Planning and execution or while conducting audit, Audit Assertion
ISSA 2530	Audit Sampling	Determining the extent of testing (sample sizes)
ISSAI- 2540	Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures	Execution or during audit, Audit Assertion
ISSAI 2580	Written Representations	Documenting audit procedures in such a way as to obtain sufficient appropriate audit evidence and thus draw conclusions on which to base the auditor's Opinion Keeping a full record of misstatements identified during the audit
ISSAI 2700	Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements	Opinion based on an evaluation of conclusions drawn from the audit evidence obtained as to whether the financial statements as a whole have been prepared as per the applicable financial reporting framework. The Opinion should be expressed clearly in a written report that also describes the Opinion and Basis of opinion
ISSAI 2701	Communication of Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report	Identifying key audit matters and concluding on whether sufficient audit work has been done for all components.
ISSAI 2705	Modifications to the Opinion in the Independent Auditors Report	Opinion based on an evaluation of conclusions drawn from the audit evidence obtained as to whether the financial statements as a whole have been prepared as per the applicable financial reporting framework. The Opinion should be expressed clearly in a written report that also describes the Opinion and Basis of opinion for the Opinion.
ISSAI 2706	The emphasis of Matter Paragraphs and	The emphasis of matter paragraphs refers to a statement or information



	Other Matter Paragraphs in the Independent Auditors Report	in the financial statements, e.g., pending litigation with a possible significant impact on the financial statements. Other matter paragraphs allow communicating a matter that is not presented or disclosed in the financial statements and is relevant to the users' understanding of the audit, the auditor's responsibilities, or the auditor's report.
ISSAI 2720	Auditors Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements	Opinion based on an evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence obtained, as to whether the financial statements as a whole have been prepared as per the applicable financial reporting framework. The Opinion should be expressed clearly in a written report that also describes the basis for the Opinion.

21  
(Amit Singh Negi)  
Secretary